रजिस्ट्री सं. डी. (डी)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 1980/भाद्र 18, 1902
No. 175] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 1980/BHADRA 18, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या-59-ईटीसी (पीएन)/80

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय :—1-1-1981 से 31-12-1981 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, नार्वे, फिनलैण्ड, आस्ट्रिया और कनाडा का खुले सामान्य लाइसेंस 3 के अन्तर्गत सूत, ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार की गई पोशाकों और सिलाई से बुने हुए वस्त्रों के निर्यात के लिए योजना ।

मिसिल सं० 2/54/80-ई-आई :—उपर्युक्त योजना पर सार्वजनिक सूचना संख्या 46-ईटीसी (पीएन)/80, दिनांक 28 जुलाई, 1980 के अनुसरण में 1-1-1981 से निम्नलिखित आशोधन किए जाते हैं और विषय से सम्बद्ध मदों के निर्यात के विनियमन के लिए व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं ।

1. सार्वजनिक सूचना की कंडिका 5(2) में एक ग्राही निर्यातक से अन्य पजीकृत निर्यातक द्वारा भूतकालीन निष्पादन के आधार पर कोटे के हस्तान्तरण की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत कोटे के हस्तान्तरण के कार्य की देख-रेख परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा की जाएगी जिसे इस प्रकार के हस्तान्तरण से सम्बद्ध आवेदन पत्र भेजे जाने चाहिएं और उनकी प्रतियां वस्त्र आयुक्त और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजी जानी चाहिए । परिधान निर्यात संवर्धन परिषद कोटे के हस्तान्तरण से सम्बद्ध आवधिक विवरण मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजेगा । इसी प्रकार भूतकालीन निष्पादन पद्धति मे हथकरघा/मिल निर्मित के अभ्यर्पण परिधान निर्यात सवर्धन परिषद को किए जाएगे और उनकी प्रतियां वस्त्र आयुक्त और मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात को भेजी जाएगी । परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ऐसे हस्तातरण के आवधिक विवरण मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजेगा ।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भूतकालीन निष्पादन के आधार पर आंशिक हस्तान्तरण की भी अनुमति है और ऐसे हस्तान्तरण वर्ष के दौरान किसी भी समय किए जा सकते हैं । लेकिन, हस्तान्तरी को हस्तान्तरित किए गए इस प्रकार के कोटे उन्हीं शर्तों के अधीन होगे जो हस्तान्तरक के लिए लागू होगी । यदि एक कोटा 30 अप्रैल, 1981 से पूर्व हस्तान्तरित कर दिया जाता है और हस्तान्तरी उसे इस तिथि के बाद तक अपने पास रखता है तो उसे नीति के अनुसार इस तिथि के बाद रखने के लिए एक बैंक गारन्टी आदि निष्पादित करनी पड़ेगी । इसी प्रकार यदि एक कोटा 30 अप्रैल, 1981 के बाद हस्तान्तरित किया जाता है तो हस्तान्तरी को हस्तान्तरण के बदले में एक बैंक गारन्टी का निष्पादन करना होगा ताकि उसे कोटे के उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके ।

3. सार्वजनिक सूचना की कडिका 10(1) में आंशिक आशोधन करने पर भूतकालीन कोटे के निष्पादन के मामले मे साक्षपत्र सभी तीन तिमाहियो में ठीक लदान से पूर्व खोले जाएगे ।

4. सार्वजनिक सूचना की कंडिका 10(3) के अनुसार 30-4-1981 के बाद रखे गए भूतकालीन निष्पादन कोटे की मात्रा के लिए बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ ऐसी बैंक गारन्टी को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31-5-1981 होगी ।

5. कंडिका 10 में अन्य बातो के साथ-साथ कोटे के उपयोग में त्रुटियो के लिए जुर्माना वसूल करने की क्रियाविधि का भी वर्णन किया गया है । वसूली के मद्दे निर्यातको द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उचित

ध्यान देने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाविधि अपनाई जाएगी । परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जुर्माने की वसूली पर सम्बद्ध निर्यातक उस वसूली के लिए सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उसके मद्दे वस्त्र आयुक्त, बम्बई को अपील कर सकता है । ऐसे प्रतिवेदन की पावती पर वस्त्र आयुक्त शीघ्र अति शीघ्र ही अपना निर्णय देगा । यदि किसी मामले मे निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से संतुष्ट न होता हो तो वह निर्णय की पावती के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है । द्वितीय अपील वस्त्र विभाग को की जाएगी और इस पर निर्णय सरकार द्वारा स्थापित निर्णायक समिति द्वारा दिया जाएगा ।

6. सार्वजनिक सूचना की कंडिका 12 में राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन निगमों के 5 प्रतिशत तक वार्षिक कोटा स्तर का विशेष आवंटन करने के लिए व्यवस्था की गई है । यह निश्चय किया गया है कि अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तर पर कार्य करने वाली एपेक्स हथकरघा मार्किटिंग सहकारी समितियां भी इसी कोटे में से विशेष आवंटन के लिए पात्र होंगी ।

7. सार्वजनिक सूचना की कंडिका 16 की पंक्ति 11 में "यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों" और कंडिका 17 की पहली पंक्ति में "यूरोपीय आर्थिक समुदाय" के पश्चात् नार्वे, आस्ट्रिया और फिनलैण्ड जोड़ा जाएगा ।

8. कंडिका 19 की पंक्ति 11 में "तैयार पोशाकों" को "तैयार माल" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए ।

9. सार्वजनिक सूचना की कंडिका 20 में, अमेरीका के मामले में निर्यात प्रमाणपत्र के साथ प्रवेश-पत्र भी होगा और अन्य सम्बन्धित वस्तावेजों के साथ क्रेता को भेज दिया जाएगा ।

10. सार्वजनिक सूचना सं० 46 ईटीसी (पीएन)/80, दिनांक 28 जुलाई, 1980 के अन्य प्रावधान अपरिवर्तनीय रहेंगे ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 59-ETC(PN)/80

New Delhi, the 9th September, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

Sub : Scheme for exports under OGL. 3 of Garments and knitwears made from Cotton, wool and man-made fibres to U.S.A., E.E.C. Member-States, Norway, Finland, Austria and Canada from 1-1-1981 to 31-12-1981.

F. No. 2/54/80-EI.—In continuation of Public Notice No. 46-ETC(PN)/80 dated the 28th July, 1980 on the above Scheme, the following modifications are made and arrangements introduced regulating the export of subject items from 1-1-1981.

1. Para 5(ii) of the Public Notice provides for transfer of Past Performance quota by an allottee-exporter to another registered exporter. The Apparels Export Promotion Council will deal with the transfer of quotas under this system to whom all applications for transfer of such quotas should be made with copies to the Textile Commissioner and Chief Controller of Imports and Exports. AEPC shall send periodical statements of quota-transfers to CCI&E. Similarly, surrenders of handloom/mill-made quotas in the Past Performance system shall be made to AEPC with copies to Textile Commissioner and Chief Controller of Imports and Exports. AEPC will send periodical statements of such transfers to CCI&E.

2. It is clarified that part transfers of Past Performance quotas are permissible and also such transfers can be made at any time during the year. However, all such transferred quotas in the hands of the transferee will be subject to the same terms and conditions as those applicable to it in the hands of the transferer. If a quota is transferred prior to 30th April, 1981 and the transferee retains it beyond that date, he will be obliged to execute bank guarantee etc. for retaining it beyond this date in terms of the policy. Similarly, if a quota is transferred after 30th April, 1981, the transferee will be obliged to make out a bank guarantee in lieu of the transferer so that he becomes responsible for utilisation of the quota.

3. In partial modification of para 10(i) of the Public Notice, L/Cs in the case of Past Performance quota shall be opened just before shipment, in all the three quarters.

4. For the purpose of furnishing bank guarantees for quantities of past performance quota retained after 30-4-1981 in terms of Para 10(iii) of the Public Notice, the last date for submission of such guarantees shall be 31-5-1981.

5. Para 10 of the Public Notice lays down, inter-alia the procedure for levy of penalties for shortfalls in the utilisation of allotted quotas. For the purpose of giving due consideration to representations made by the exporters against the levies, the following procedure will be followed. Upon levy of a penalty by the Apparels Export Promotion Council, the exporters concerned can appeal against the levy to the Textile Commissioner, Bombay within 15 days of receipt of the communication conveying such a levy. The Textile Commissioner shall upon receipt of the representation, give a ruling as early as possible. If, in any case, the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner, he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Department of Textiles and will be dealt with by an Appellate Committee constituted by Government.

6. Para 12 of the Public Notice provides for a special allocation not exceeding 5 per cent of the annual quota level to Corporations under the Control of State or Central Governments. It has been decided that Apex Handloom Marketing Cooperative Societies operating at the all India or State level will also be eligible for special allotments out of this quota.

7. In line 11 of Para 16 of the Public Notice, after "EEC Member States" and in the first line of Para 17 after 'EEC', Norway, Austria and Finland shall be added.

8. In line 11 of Para 19 'readymade garments' should read as "ready goods".

9. In para 20 of the Public Notice, Export Certificate shall also include Visa in the case of U.S.A. and shall be forwarded to the buyer together with other relevant documents.

10. Other provisions of Public Notice No. 46-ETC(PN)/80 dated 28th July, 1980, remain unchanged.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980